राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

कार्यालय आदेश

क्रमांक : आईटी/2019-20/38 जयपुर, दिनांक

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 31.12.2018 में दिए प्रदत्त आदेशों की अनुपालना में, समस्त अधिकारीगण को सूचित कर पाबंद किया जाता है कि वे अपना अचल सम्पत्ति विवरण वर्ष 2019 (01.01.2020 की स्थिति में) स्वयं के एसएसओ-आई (SSO-ID) से राज-काज सॉफ्टवेयर में आईपीआर मॉड्यूल अंतर्गत कर दी गई प्रक्रिया अनुसार चाही गई सूचना 31 जनवरी, 2020 तक आवश्यक रूप से Submit करें, ताकि कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर आपका अचल सम्पत्ति विवरण वर्ष 2019 (01.01.2020 की स्थिति में) अपलोड हो सके। वर्ष 2019 से टंकित/हस्तलिखित हार्डकॉपी में अचल सम्पत्ति विवरण स्वीकार नहीं होगा।

अचल सम्पत्ति विवरण वर्ष 2019 (01.01.2020) की स्थिति के सम्बन्ध में

निश्चित समय सीमा में अपना अचल सम्पत्ति विवरण ऑनलाईन नहीं भरने की स्थिति में आगामी वेतन वृद्धि नहीं दिये जाने के आदेश प्रदान किये गये है।

कार्मिक विभाग द्वारा प्रदत्त आदेशों की अनुपालना दिनांक 31.01.2020 से पूर्व अपना अचल सम्पत्ति विवरण ऑनलाईन करना सुनिश्चित करें।

वार्षिक कार्य मूल्यांकन 31 मार्च, 2020 की पूर्ति के सम्बन्ध में

सभी अधिकरियों/कर्मचारियों के वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन दिनांक 01 अप्रैल 2020 को देय है। सार्वजनिक निर्माण विभाग में पदस्थापित समस्त अधिकारी वर्ष 2019-2020 का वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन राज-काज के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करेगें। किसी भी अधिकारी द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राज-काज के अलावा किसी भी और माध्यम से यथा डाक से या व्यक्तिशः हार्डकॉपी के रूप में प्रस्तुत करने पर स्वीकार्य नहीं होगा। विभाग में सभी रिपोर्टिंग अधिकारी इसकी पालना सुनिश्चित करेगें।

RajKaj पर वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एस.एस.ओ. (Single Sign On) के माध्यम से ही भरा जायेगा। अतः सभी अधिकारी/कर्मचारी अपनी एस.एस.ओ. (single Sign On) आई.डी. आवश्यक रूप से सृजित करवा कर राज. ई-ऑफिस [Raj e-Office] टीम से समन्वय कर अपनी SSO-ID राज. ई-ऑफिस [Raj e-Office] एप्लीकेशन में इन्टीग्रेट भी करवाये।

निरन्तर........

इस कार्य में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर विभाग में ई–ऑफिस [PWD] की टीम में निम्न में किसी से भी सम्पर्क कर सकते हैं:–

1. श्रीमती सीमा परेवा, सहायक प्रोग्रामर, 9672312077
2. श्री रामलाल सैनी, कनिष्ठ सहायक, 8058834313

22/1/2020

(सुनील कुमार गुप्ता)
मुख्य अभिन्ता एवं अति.सचिव
सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सा.नि.वि. राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, सा.नि.वि. राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को पत्र भेजकर आग्रह है कि राजकाज का कार्य देख रही टीम को निर्देशित करें कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में 31 मार्च, 2020 तक वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का मॉड्यूल लागू कराने में अपना सहयोग प्रदान करें।
4. निजी सचिव, मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सा.नि.वि. राज. जयपुर।
5. निजी सहायक, अधीक्षण अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक–प्रथम, सा.नि.वि. जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक (आई.टी.)/श्री योगेश शर्मा, एसीपी, सा.नि.वि.जयपुर।
7. समस्त अधिकारीगण।

22.01.2020

(अक्षय कुमार जैन)
अधीक्षण अभियन्ता एवं
तकनीकी सहायक–प्रथम